भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 364

22.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

एनईएमएमपी और फेम योजना

364 श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाहन से उत्सर्जन को कम करने में राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (एनईएमएमपी) और हाइब्रिड एवं विद्युत वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम) योजना के उद्देश्य और उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक सहायताप्राप्त विद्युत वाहनों (ईवी) की संख्या कितनी है और कितना बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार फेम योजना का विस्तार टियर-2 और टियर-3 शहरों तक करने और स्थानीय ईवी विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना बना रही है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख)

1. राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और उनके विनिर्माण के लिए विजन और रोडमैप प्रदान करता है। एनईएमएमपी 2020 के एक भाग के रूप में, भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और

विनिर्माण (फेम इंडिया) नामक एक स्कीम तैयार की। फेम इंडिया स्कीम का दूसरा चरण 01.04.2019 से 31.03.2024 तक लागू किया गया।

2. **फेम-I (2015 - 2019):**

उद्देश्य: फेम-I को हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

फेम-I स्कीम के अंतर्गत समर्थित इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या इस प्रकार है: -

खंड	**समर्थित ईवी की संख्या**
ई-दुपहिया	1,51,648
ई-तिपहिया	786
ई-चौपहिया	1,02,446
ई-बस	425
कुल	**2,55,305**

फेम-I के अंतर्गत 43 करोड़ रुपये की राशि से लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों/बुनियादी ढांचों की स्थापना को मंजूरी दी गई।

3. फेम-II (2019-2024)

फेम-II के उद्देश्य :- फेम-II के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

1. बाजार सृजन, मांग एकत्रीकरण और अन्य संबंधित गतिविधियों के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना।
2. इलेक्ट्रिक वाहनों और इसके घटकों के पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए घरेलू प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
3. विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देकर देश के भीतर शून्य उत्सर्जन वाहनों (जेडईवी) और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देना।
4. मजबूत, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, व्यवहार्य और आत्मनिर्भर एक्सईवी उद्योग का निर्माण करना।
5. सीओपी 21 में सहमति के अनुसार कम उत्सर्जन गहन अर्थव्यवस्था के लिए देश के प्रयासों में योगदान देना।
6. विशेष रूप से शहरों से होने वाले वाहनों के उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देना।

फेम-II स्कीम के अंतर्गत 30.06.2025 तक समर्थित इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या निम्नानुसार है:

(संख्या)

श्रेणी	समर्थित ईवी की संख्या
ई-दुपहिया	14,35,065
ई-तिपहिया	1,65,029
ई-चौपहिया	22,644
ई-बस	5,165 (6,862 - प्रतिबद्ध)
कुल	**16,29,600**

फेम-II स्कीम के अंतर्गत 9,332 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन(ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए कुल 912.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 30 जून, 2025 तक 8,885 ईवीपीसीएस स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग) फेम स्कीम टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित पूरे देश में लागू थीं। फेम-I स्कीम की अवधि 2015-2019 थी और फेम-II स्कीम की अवधि 2019-2024 थी।

******